भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR 8385 17/08

A 300056

5.	श्री केदार दूबे पिता- स्व० मुसाफिर दूबे ग्राम- पहाड़पुर, पोस्ट- उगहनी थाना- चेनारी, जिला- रोहतास	70वर्ष	समाजसेवक	सदस्य	केदार दूबे
6.	श्री विश्वनाथ चौबे पिता- भुवनेश्वर चौबे ग्राम- धनाढ़ी, पोस्ट- समरडीहा थाना- सासाराम, जिला- रोहतास	28वर्ष	समाजसेवक	सदस्य	विश्वनाथ चौबे
7.	निर्मल कुमार पिता- प्रधान रामनरेश लाल ग्राम- सेमरियाँ, पोस्ट- ओरा थाना- सोनहन जिला- कैमूर (भभुआ)	45वर्ष	संवदेक	सदस्य	[signature]
8.	अशोक कुमार पिता- श्री बालकेश्वर राम ग्राम+पोस्ट- रूद्रवारकला थाना- सोनहन जिला- कैमूर (भभुआ)	38वर्ष	अध्यापन	सदस्य	अशोक कुमार
9.	श्री मधुबन चौबे पिता- श्री शंकर दयाल चौबे ग्राम- नवागांव, पोस्ट- रूद्रवारकला थाना- सोनहन जिला- कैमूर (भभुआ)	44वर्ष	वकालत	सदस्य	मधुबन चौबे

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

Serial No : 398
Token No : 412
Type & Status of Party

Deed No : 2 of 2008
Name of Party

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little

Self

Dr. Ashok Kumar Chaubey
अशोक कुमार चौबे

Signature of Party

Nirmal Kumar
निर्मल कुमार

Signature of Party

Ashok Kumar
अशोक कुमार

Signature of Party

Shri Madhuban Chaubey
मधुबन चौबे

Signature of Party

Kedar Dubey
केदार दूबे

Signature of Party

Shri Shankar Dayal Chaubey
शंकर दयाल चौबे

Signature of Party

Shri Mahendra Dubey
महेन्द्र दूबे

Signature of Party

Dr. Ashok Kumar Chaubey

Signature of Party

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR 8383 17/01/08 100/10

A 300054

दयानंद श्रीवास्तव
मुद्रांक विक्रेता S.D.O. कोर्ट
(भभुआ) लाo नo 1/03,04

न्यास-पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक 17/01/2008 को स्थान भभुआ में द्वारा वह न्यास पत्र आज दिनांक 17/01/2008 को स्थान भभुआ में द्वारा **डॉ अशोक कुमार चौबे** सुपुत्र श्री शंकर दयाल चौबे ग्राम नावागाँव पो०- रूद्रवारकला, थाना- सोनहन, जिला- कैमूर भभुआ (बिहार) संस्थापक है। जो कि ट्रस्ट के संस्थापक/ट्रस्टी के नाम से जाने जाएंगे।

हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थाई सुख शांति संगठन सद्भाव, विश्वास, गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों को संग्रह किया जाए इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा 51,000.00 (इक्यावन हजार) रुपये प्रदान करते हैं जो कि मैं निष्पादन कर्त्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

1.	ट्रस्ट का नाम	:	**राज शंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** (Raj Shankar Educational & Welfare Trust)
2.	न्यास का पंजीकृत कार्यालय	:	भभुआ निबंधन कार्यालय
3.	न्यास का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा इसके न्यास/ट्रस्ट के कार्यालय अलग-अलग प्रान्तों/शहरों में स्थापित होंगे।
4.	न्यास में ट्रस्टी सदस्य संख्या	:	न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम नौ और अधिक से अधिक 12 ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे। इस ट्रस्ट में आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक 3 और व्यक्तियों को महानिदेशक द्वारा मनोनीत किया जा सकता है।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

Smt. Dhrmshila Chaubey

धर्मशीला चौबे

Signature of Party

Shri Viswnath Chaubey

विश्वनाथ चौबे

Signature of Party

Sayamanand Upadaya

श्यामानन्द उपाध्याय

Signature of Party

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

A 300055

दयानंद श्रीवास्तव
मुद्रांक विक्रेता S.D.O.कोर्ट
(भभुआ) ला० न० 1/03-04

5. न्यास का गठन :

क्रम	पिता/पति का नाम व पता	पेशा	पद
1.	श्री शंकर दयाल चौबे, 80 वर्ष पिता- स्व० मालिक चौबे ग्राम- नवागांव, पोस्ट- रूद्रवारकला थाना- सोनहन जिला- कैमूर (भभुआ)	कृषि	संरक्षक शंकरदयाल चौबे
2.	डॉ० अशोक कुमार चौबे 36 वर्ष पिता- श्री शंकर दयाल चौबे ग्राम- नवागांव, पोस्ट- रूद्रवारकला थाना- सोनहन जिला- कैमूर (भभुआ)	समाजसेवक	महानिदेशक/संस्थापक/न्यासकर्त्ता अशोक कुमार चौबे
3.	श्री महेन्द्र दूबे 40 वर्ष पिता- श्री हरिद्वार दूबे ग्राम+पोस्ट- उमापुर थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर (भभुआ)	समाजसेवक	अध्यक्ष
4.	श्रीमती धर्मशीला चौबे 32 वर्ष पिता- इन्द्रासन चौबे ग्राम- धनाढ़ी, पोस्ट- समरडीहा थाना- सासाराम, जिला- रोहतास	समाजसेविका	कोषाध्यक्ष धर्मशीला चौबे

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR 8385 17/1/08 A 300056

5. श्री केदार दूबे 70वर्ष समाजसेवक सदस्य केदार दूबे
पिता- स्व॰ मुसाफिर दूबे
ग्राम- पहाड़पुर, पोस्ट- उगहनी
थाना- चेनारी, जिला- रोहतास

6. श्री विश्वनाथ चौबे 28वर्ष समाजसेवक सदस्य विश्वनाथ चौबे
पिता- भुवनेश्वर चौबे
ग्राम- धनाढ़ी, पोस्ट- समरडीहा
थाना- सासाराम, जिला- रोहतास

7. निर्मल कुमार 45वर्ष संवदेक सदस्य निर्मल कुमार
पिता- प्रधान रामनरेश लाल
ग्राम- सेमरियाँ, पोस्ट- ओरा
थाना- सोनहन
जिला- कैमूर (भभुआ)

8. अशोक कुमार 38वर्ष अध्यापन सदस्य अशोक कुमार
पिता- श्री बालकेश्वर राम
ग्राम+पोस्ट- रूद्रवारकला
थाना- सोनहन
जिला- कैमूर (भभुआ)

9. श्री मधुबन चौबे 44वर्ष वकालत सदस्य मधुबन चौबे
पिता- श्री शंकर दयाल चौबे
ग्राम- नवागांव, पोस्ट- रूद्रवारकला
थाना- सोनहन
जिला- कैमूर (भभुआ)

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR A 300057

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के लिए होंगे ओर उसके आय देश-विदेश में किसी प्रकार की अन्य शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशिक्षण करने में बिना किसी पक्ष-पात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

संस्था का ज्ञापन-

राज शंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

1. संस्था का नाम : राज शंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय : स्थाई- ग्राम नावागाँव पो०- रूद्रवारकला, थाना- सोनहन, जिला- कैमूर भभुआ (बिहार)
   पत्राचार- C/o श्री रामेश्वर चौबे (संवेदक) नगरपालिका के पीछे वार्ड नं० 12, भभुआ पिन- 821101
3. संस्था का ध्येय एवं उद्देश्य :
   1. फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारतवर्ष एवं विश्व होगा, समृद्ध संगठित भारत, स्वस्थ्य भारत, अखण्ड भारत और ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में राज्य सरकार, भारत सरकार, संस्थाओं/संगठनों, ट्रस्टों का सहयोग प्रदान करना होगा।
   2. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इकाई कार्य करेगी उसे ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास परियोजना (Rural Health & Family Welfare Development Project) के नाम से जाना जायेगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-

      स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संवर्द्धन, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकसित करना और न्यास के संबद्ध/संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से कराना और सदस्य संस्थाओं/संगठनों को तकनिकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR A 300058

दयानंद श्रीवास्तव
मुद्रांक विक्रेता S.D.O. कोर्ट
भभुआ

शिक्षा एवं सामाजिक पुनरुत्थान के कार्यः-

1. सार्वभौम शिक्षा-प्रसार की अनिवार्यता के प्रति समर्पित आस्था के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग खासकर पिछड़े एवं हाशिए के समुदायों- के लोगों को साक्षर, शिक्षित एवं जाग्रत करना। इसके निमित्त 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सफलीभूत करने में सक्रिय सहयोग एवं योगदान करना।
2. विद्यालीय/महाविद्यालीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं वांछित प्रगति के लिए अभिभावकों, अध्यापकों एवं शिक्षाविदों की गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ (वर्क शॉप), सेमिनार आदि का आयोजन तथा तत्संबंधी विचारों, निर्णयों और अनुशंसाओं का प्रकाशन एवं शैक्षिक संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु वितरण।
3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रसार के लिए विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अति पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा मुहैया कराने के लिए शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना।
4. सम्पूर्ण मानवता को शिक्षित करने, निरक्षता उन्मूलन एवं उनके नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने/शैक्षणिक स्तर उच्च करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन में और विद्यालय, महाविद्यालय, तकनिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना में राज्य सरकार, भारत सरका, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग प्रदान करना। शिक्षा विकास पर सेमिनार/कार्यशाला/सभा आयोजित करना और कार्यवाही के अनुरूप शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करना।
5. प्रत्येक गांव, पंचायत, प्रखण्ड, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्र स्तर पर बौद्धिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास केन्द्र की स्थापना करना और अन्य संगठनों तथा राजकीय उपक्रमों से वांछित कार्यक्रमों और मार्गदर्शन एवं सहायता से सामाजिक समरसता की भावना सुदृढ़ करना।
6. शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके नियोजन के लिए अवसर सृजित करना और उन्हें नियोजित कराना।
7. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को जन-जन तक पहुचाने में महत्वपूर्ण योगदान देना। पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र, पर्यावरण विकास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु शिक्षण केन्द्र को प्रोत्साहित करना। वित्तीय एवं तकनिकी सहायता उपलब्ध कराना।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

A 300059

8. मानव संसाधन विकास एवं संवद्धन हेतु मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योनिकी के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, सदस्य-संस्थाओं, संबद्ध संस्थाओं/संगठनों की स्थापना में सहयोग करना एवं आर्थिक एवं तकनिकी सहायता उपलब्ध कराना।
9. शैक्षणिक संस्थानों, तकनिकी और प्रबंधन संस्थानों, विश्वविद्यालयों/परिषदों से मान्यता, संबद्धता प्राप्त करना और तदनुसार प्रशिक्षण/शिक्षण आरम्भ करना एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान कराना।
10. शिक्षा के लिए आवश्यकता के अनुरूप अन्वेषित एवं प्रयोगात्मक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य करना, शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु टेली फिल्म/ वृत्तचित्र/चलचित्र का निमार्ण कार्य करना।
11. राष्ट्रीय महत्व की पुरातन धरोहर के संरक्षण में शिक्षा का विशेष कार्यक्रम संगठित कर आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता विकसित करना। ऐतिहासिक महत्व के भवनों का जिर्नोद्धार कार्य कराना एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रमणीक पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु होटलं, रेस्टोरेन्ट आदि का निर्माण करना। कृत्रिम जलाशय, झील का निमार्ण करना और नौका विहार को प्रोत्साहित करना एवं पर्यटन के क्षेत्र में और होटल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित करना।
12. स्वतंत्र भारत के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में जानकारी प्रदान कराना और मानवीय मूल्यों के गरिमा की स्थापना, सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।
13. राज्य एवं जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, पारा मेडिकल एवं एलायड मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्वयं करने की ओर प्रयासरत होना और स्थापना में सदस्य संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना, वित्तीय एवं तकनिकी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में वांछित सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना। ऐसी संस्थाओं के विकास हेतु अन्वेषण और शोध कार्य करना।
14. ग्रामीण जनों को रोग मुक्त जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं स्वस्थ समाज की स्थापना करना।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

A 300060

15. आयुर्वेद, होमियोपैथी, योग ध्यान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, विद्यालयों/महाविद्यालयों/ट्रस्ट आदि से सम्बद्धता प्राप्त करना और इसके विकास हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियांवित करना तथा प्रशिक्षण कार्य प्रदान करना।
16. विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं एसियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
17. जनसंख्या नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, एड्स उन्मूलन, टी.बी. उन्मूलन में सरकार/संस्थाओं के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना और स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना।
18. जड़ी-बूटी, वनौषधि आदि को औषधि तैयार करना, उसके निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना, पेटेन्ट कराना, संग्रहन करना, पेकेजिंग करना और विपणन की व्यवस्था करना एवं देश-विदेश में निर्यात करना, कुपोषण महामारी से आम जनता को बचाना, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना, ग्राम स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
19. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाई को ग्रामीण शैक्षणिक शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना।
20. सम्पूर्ण मानवता को शिक्षित करने, निरक्षता उन्मूलन एवं उनके नैतिक चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने/शैक्षणिक स्तर उच्च करने के लिए कार्यक्रम का क्रियान्वयन और विद्यालय, महाविद्यालय, तकनिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना में राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग प्रदान करना।
21. न्यास के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय एवं परिस्थिति के आलोक में नियमावली में आवश्यक सुधार करना, परन्तु यह ख्याल रखना अनिवार्य होगा कि उक्त सुधार न्यास के मूल उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विपरीत न होवें।

संस्थापक

डॉ॰ अशोक कुमार चौबे

ग्राम नावागाँव पो॰- रूद्रवारकला, थाना- सोनहन,

जिला- कैमूर भभुआ (बिहार)

स्थान:- भभुआ

दिनांक:- 17.01.2008

SECRETARY

R.S. College of Education

Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

A 300061

RAJ SHANKAR EDUCATIONAL TRUST & WELFARE TRUST

राज शंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

की नियमावली

1. परिभाषाएं :

(क) न्यास का नाम	:	न्यास का नाम राज शंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट या (आर. एस. एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट) होगा।
(ख) न्यास का ट्रस्टी	:	महानिदेशक सह संस्थापक मुख्य न्यासी होंगे।
(ग) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	:	महानिदेशक इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
(घ) पदाधिकारी	:	महानिदेशक, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होंगे।
(ङ) प्रबंधन समिति	:	पदाधिकारी सहित चार अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होंगे।
(च) वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
(छ) एक्ट	:	ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत।

2. सदस्यता : ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन प्रपत्र में आवेदन महानिदेशक के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए महानिदेशक सह संस्थापक की अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

● **बिहार BIHAR** A 300062

सदस्यता पांच प्रकार का होगी:-

1. न्यासी सदस्य – महानिदेशक, अध्य[illegible]) कोषाध्यक्ष)।
2. साधारण सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 10,000/- (दस हजार) रुपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते हैं।
3. स्थायी सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 25,000/- (पचीस हजार) रुपये जमा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते हैं।
4. संस्थागत सदस्य- कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे एक मुश्त 51,000/- (इक्यावन हजार) रुपये अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
5. संस्थापक सदस्य- संस्था की स्थापना में जिन्होंने सहायता की हो और संकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर किये हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 51,000/- (इक्यावन हजार) रुपये जमा करने होंगे।

3. सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति : 1. स्वयं त्याग-पत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

A 300063

4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर/विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्कासित करने पर।
6. महानिदेशक द्वारा निष्कासित करने पर।

4. न्यास का प्रबंधन	:	न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थापक सह महानिदेशक को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति का भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर ले। विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनित किये जायेंगे।

न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासी के अधिकार निम्नलिखित होंगे:-

1. दान, चंदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, संपत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

2. समय-समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
3. न्यास के संपत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच.डी.एफ.सी./आई.सी.आई.सी.आई./इंग वैश्य मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
4. न्यास के कोष/निधि का उपयेाग अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल इंस्टीच्यूट, प्रबंधन एवं तकनिकी संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, तकनिकी प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं कॉलेज (शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय) की स्थापना करना।
5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल संपत्ति किराये/लीज/पट्टे पर देना एवं लेना।
6. न्यास के नाम से बचत/चालू/आवर्ती जमा/ अनावर्ती / जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संशोधन हेतु बैंक/डाकघर को सूचित करना।
7. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकृत करना।
8. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्णकालीन/अंशकालीन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों को लापरवाही के लिए चेतावनी देना/दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
9. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।
10. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान से संबंद्ध होना, संबंद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।
11. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण करना या देना।
12. न्यास की संपत्ति, कोष/निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।
13. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार शैक्षिक तथा अन्य सामाजिक कल्याण केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना। ऐसे उद्देश्यों के अनुरूप राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम संचालन में सहयोग लेना एवं देना।
14. न्यास के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना और

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण की नियुक्ति करना।

15. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।
16. न्यास के प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होगी और अधिक से अधिक 9 होगी।
17. संस्थापक सह महानिदेशक को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल महानिदेशक द्वारा तय किया जाएगा।
18. संस्थापक सह महानिदेशक को समय-समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे।

5. प्रबंध समिति का निवार्चन : प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात् निर्वाचन के आधार पर होगा।

6. प्रबंध समिति का अधिकार : पांच सदस्य संस्थापक सदस्य से मनोनीत किए जायेंगे। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य होंगे जिनका भी मनोनयन मुख्य न्यासी करेंगे।

7. पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य : (1) महानिदेशक-सह-संस्थापक:

1. महानिदेशक सह संस्थापक न्यास के सर्वोच्च पदाधिकारी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर पर निणार्यक मत देना या विवादास्पद परिस्थिति में महानिदेशक का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उनके निणर्य को कोई चुनौती नहीं दी जाएगी।
7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निणर्य के

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

अंतर्गत ही किया जाएगा।

8. महानिदेशक को जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निणर्य अंतिम और सर्वमान्य होगा।
9. महानिदेशक को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।
10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी क़ी हैसियत से संस्था के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रहकर संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे।
11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।
13. न्यास के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण कराना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश में प्रतिनिधित्व करना।
15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।
16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के संपादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 200000/- (दो लाख) रुपये तक खर्च करना।
18. राष्ट्रीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य : अध्यक्ष न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी

समिति, उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकारी होंगे। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को संपन्न करना। न्यास के नियमों के प्रतिकुल कार्यवाही को रोकना।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य : न्यास के कोष/रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरादायित्व कोषाध्यक्ष का होगा। अधिक से अधिक 5000/- (पांच हजार रुपये तक नगद न्यास के कार्यों के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा। जमा कोष से रुपये की निकासी महानिदेशक या उनके द्वारा अधीकृत न्यासी के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे:-

(क) न्यास के सभी चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभी की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) सामान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, संबद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

(ङ) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(च) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुंचाता हो उसे सदस्यता से वांछित करना/ विमुक्त करना।

(छ) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक

एवं हितकर हो उसे करेगी।

5. प्रबंध समिति की बैठक :

(1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।

(3) बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

(4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

6.. आम सभा : प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होगे:

(1) पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।

(3) न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।

(4) अंकेक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

(5) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

(6) आगामी वर्ष के लिए आय व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

(7) आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित/निर्धारित करना।

(8) पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर महानिदेशक/अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना।

7. असाधारण बैठक : महानिदेशक के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

(1) आवश्यकतानुसार महानिदेशक की सलाह पर।

(2) सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम महानिदेशक के निर्णय के अनुसार होगा और महानिदेशक के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।.

(3) आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimur, Bihar

(4) प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

(5) बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

8. मतदान : साधारणतया मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान या हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर महानिदेशक द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

9. कार्यकाल : प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल (तीन) वर्ष का होगा तथा उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं होगी।

10. रिक्त पदों की पूर्ति : प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए महानिदेशक किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं।

11. न्यास की आय : न्यास की आय के प्रमुख स्त्रोत न्यास के सदस्य होंगे। साथ ही न्यास द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षिक सह समाज कल्याणकारी कार्य तथा समाजिक शिक्षागत उन्नयन के अन्य कार्यक्रमों के संचालन में सरकारी वितीय एवं गैरसरकारी सहायता प्राप्त करने के प्रयास होंगे। आवश्यकतानुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंक/एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय साहाय्य श्रोत /एजेंसी आदि से भी ऋण या अनुदान प्राप्त करना।

Witness

1. श्यामानंद उपाध्याय पिता श्री उमाशंकर उपाध्याय ग्राम बगाढ़ी थाना रामगढ़ जिला कैमूर
श्यामानन्द उपाध्याय

2. रवीन्द्रनाथ चौबे पिता श्री सुरेन्द्रनाथ चौबे ग्राम अखिलेश्वरी, थाना दुर्गावती जिला कैमूर
Rabindra Nath Choubey Adv.

प्रारूपकर्त्ता :-
मधुबन चौबे अधिवक्ता Madhuban Chaubey 18/01/08
जिला व सत्र न्यायालय, भभुआ (कैमूर)
डीटीपी :-
सुरेश कुमार, भभुआ

अशोक कुमार चौबे
18/01/2008.

स्थान:- भभुआ
दिनांक:- 17.01.2008

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

IV 2-08
23-58
18-1-2008

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. **1100**
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs 0
(Paid **Rs. 1100/-** *by N.J. Stamp Paper and* **Rs. 3065/-** *through Bank Challan.)*

FEE PAID											
A1	**2309**	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	**0**
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc. Fee	**0**
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	**Total Fee**	
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	**36**		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	Scan	**720**	**3065**	

Date : 18.1.8

Registering Officer
18/1/08

Endorsement under section 52

Presented for registration at ***04:38 PM*** *on the day* ***Friday,*** *18th* ***January*** ***2008*** *at the* ***Kaimur (Bhabhua)*** *D. R./ S. R. Office by* ***Dr. Ashok Kumar Chaubey***
Shri Shankar Dayal Chaubey

by profession ***Agriculture.***

Signature of Presentant
अशोककुमारचौबे

Registering Officer
18/1/08

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Sayamanand Upadaya age 35 Sex M son/daughter of Uma Sankar Upadaya resident of Vill.-Bagadi, Ps.-Ramgrah, Kaimur.

Date: 18.1.8

Registering Officer
18/1/08

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 4 of DSRO/ SRO Kaimur having 36 pages, in the volume CD-1 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Date: 18.1.8

Registering Officer
18/1/08

Token No. 412 **SCORE Ver. 2.0 (Vinayak)** NIC BRSC, Patna, Bihar

SECRETARY
R.S. College of Education
Bare, Bhabua, Kaimar, Bihar